न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 13/2018

उनवान

1. मालाराम पुत्र छण्डुराम उम्र 82 साल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 23 नीमकाथाना

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला - सीकर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 रा. का. अधिनियम

उपस्थित :- श्री मनीराम जाखड़ एड० - वकील प्रार्थी

निर्णय दिनांक 16-4-2018

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि ख०न० 1498 रकबा 2.40 है० व भूमि ख०न० 1488 रकबा 0.20 है० तन ग्राम नीमकाथाना में स्थित है। उक्त दोनो ख०न० के पुराने ख०न० 1386 है। प्रार्थी उक्त भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हि० राजस्व अभिलेख में वर्णित है। भूमि ख० न० 1488 में आवासीय मकान बनाकर सपरिवार आवास करता आ रहा है। आवासीय उपयोग में लिये जाने की वजह से पृथक से ख०न० 1488 राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया गया। तथा तरमीम की जाकर राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया गया। उक्त भूमि का राजस्व नक्शा सं० 1987 सन 1930-31 मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज किया गया। तथा इसके पश्चात दूसरा राजस्व नक्शा सन 2003 में राजस्व अभिलेख में तैयार किया गया है। सन 2003 मे सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अभिलेख में तैयार किये गये राजस्व नक्शा में उक्त भूमि वर्णित मद सं 1 व 2 प्रार्थना पत्र का रकबा भूमि के दक्षिणी हिस्से से पूर्व राजस्व नक्शा सन 1930-31 की बजाय करीब 0.25 है० भूमि

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना

पैमाने में कम की जाकर नक्शा ट्रैस तैयार किया गया है। जो विधि संगत नही है। सन 2003 में उक्त वर्णितानुसार राजस्व अभिलेख में तैयार किये गये नक्शा ट्रैस मे सन 1930-31 में राजस्व अभिलेख में वर्णित नक्शा ट्रैस के अनुरूप संशोधन करवाया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र की मद सं 1 व 2 मे वर्णित भूमि के राजस्व नक्शा ट्रैस सन 2003 मे पूर्व में सन 1930-31 में राजस्व अभिलेख में वर्णित नक्शा ट्रैस के अनुरूप संशोधन फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थना पत्र के सम्बध में तहसीलदार नीमकाथाना से रिर्पोट ली गई जो शामिल पत्रावली कि गई। एवं बहस वकील प्रार्थी एवं पत्रावली सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी भूमि ख०न० 1488 में आवासीय मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहा है आवासीय उपयोग में आने से उक्त भूमि पृथक से राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया गया। नवीन सैटलमेन्ट के दौरान नक्शे में गलती हो गई जिसे राजस्व अभिलेख मे तैयार किये गये नक्शा ट्रैस में सन 1930-31 मे राजस्व अभिलेख मे वर्णित नक्शा ट्रैस के अनुरूप संशोधन किया जावे एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी कि बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिर्पोट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 22-12-17 के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी मालाराम के पुख्ता मकान भूमि ख०न० 1488 मे आता है। उक्त निर्माण से आगे दक्षिण दिशा में रास्ता कि भूमि ख०न० 1489 आती है। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिर्पोट का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि नये नक्शे में ए से बी मार्क 296 मीटर कर दी गई जबकि पुराने में 302 मीटर थी एवं सी से डी 280 मीटर के बजाय 276 मीटर बना दी गई। जिसको पुराने नक्शे के मुताबिक शुद्धी किया जाना उचित बताया है। रिर्पोट के साथ दोनो नक्शे संलग्न है एवं सीमाज्ञान रिर्पोट भी संलग्न पत्रावली है।

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

प्रकरण में प्रतिपक्षी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट/जवाब में प्रार्थी द्वारा चाहे गये संशोधन को दुरुस्त किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार नीमकाथाना कि रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना कि रिपोर्ट दिनांक 21-2-2018 के अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। तदानुसार संशोधन हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-4-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

ह०/
जगदीश प्रसाद गौड
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना